प्रेस नोट **दिनांक 20.12.2025**

25000 रुपये का इनामियां वांछित अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 20.12.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर प्यारेपुर सलाउद्दीन चट्टी से मु0अ0सं0-006/25 धारा 87, 137(2), 64(1) बीएनएस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट में वाछित 25000 रुपये इनामिया अभियुक्त सुग्रीव यादव पुत्र बब्बन यादव सा0 मोलनापुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. सुग्रीव यादव पुत्र बब्बन यादव सा0 मोलनापुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0-006/25 धारा 87, 137(2), 64(1) बीएनएस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
2. मैं उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता थाना घोसी जनपद मऊ।
3. हे०का0 विमलेश सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
4. का0 राकेश सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
5. का0 अनिल चौधरी थाना घोसी जनपद मऊ।
6. का0 अवनीश बादव थाना घोसी जनपद मऊ।

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरादम-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी

मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 19.12.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर शमशाबाद बाजार से मु0अ0स0 214/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त अशोक उर्फ डब्लू पुत्र लौटू सरोज निवासी शमशाबाद थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अशोक उर्फ डब्लू पुत्र लौटू सरोज निवासी शमशाबाद थाना रानीपुर जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 214/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. 01 अदद नाजायज चाकू।

मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा महिला संबंधी अपराध के संबंध में 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनाक 20.12.2025 देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हथनी मोड़ से मु0अ0सं0 528/25 धारा 69, 74, 352, 351(3) बी0एन0एस0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त निखिल कुमार पुत्र प्रभात कुमार निवासी चोरपा खुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय मऊ रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 528/25 धारा 69, 74, 352, 351(3) बी0एन0एस0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. निखिल कुमार पुत्र प्रभात कुमार निवासी चोरपा खुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

गिफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 अनिल कुमार तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. का0 संजीव सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. का0 मनीष कुमार यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹ 11500 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एएसजे / पोक्सो एक्ट कोर्ट, जनपद मऊद्वारा दिनांक 20-12-2025 को मु0अ0सं0 76/2018 धारा 354क, 452, 323 भादवी व 7/8 पोक्सो एक्ट का थाना घोसी मे दोषसिद्ध अभियुक्त कृष्णदेव उर्फ़ तल्लू पुत्र शंभू नाथ निवासी चौहानपुरा अमिला थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹ 11500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार मिश्रा , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 कमलेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी 10,000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 10,000 (दस हजार) रुपये, पीडित विश्वेश पाण्डेय निवासी कटारा मऊ जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 10,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।